राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024
दिनांक :- 25 जनवरी 2024
स्थान :- गुरु गोबिन्द सिंह एजुकेशनल सोसायटीज़ टेक्निकल कैंपस
कांड्रा, चास, बोकारो

राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024
दिनांक :- 25 जनवरी 2024
जिला प्रशासन, बोकारो
वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे

राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024
दिनांक :- 25 ज
कांड्रा, चास,
जिला प्रशासन

राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024
दिनांक :- 25 जनवरी 2024
जिला प्रशासन, बोकारो
वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे

मतदाता दिवस 2024
दिनांक :- 25 जनवरी 2024
स्थान :- गुरु गोबिन्द सिंह एजुकेशनल सोसायटीज़ टेक्निकल कैंपस
कांड्रा, चास, बोकारो
जिला प्रशासन, बोकारो
वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे

जरूर डालेंगे

राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024
दिनांक :- 25 जनवरी 2024
स्थान :- गुरु गोबिन्द सिंह एजुकेशनल सोसायटीज़ टेक्निकल कैंपस
कांड्रा, चास, बोकारो
जिला प्रशासन, बोकारो
वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे

DIGITAL DAILY
Website : www.khaberaajtak.com
झारखण्ड की सम्पूर्ण खबरों का संग्रह
ख़बर आज तक
हमेशा आगे...
Email: khaberaajtak@gmail.com, WhatsApp : 9525121555
राँची / बोकारो / धनबाद गुरुवार , 25 जनवरी 2024

14 वे. राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जीजीएसईएसटीसी कैंपस में जिला स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन

बोकारो (ख़बर आजतक) : गुरुवार को 14 वें. राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर चास प्रखंड के काण्ड्रा स्थित गुरू गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंप (जीजीएसईएसटीसी) सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ) सह उपायुक्त (डीसी) कुलदीप चौधरी ने पदाधिकारियों/कर्मियों एवं युवाओं को मतदान करने के लिए मतदाता प्रतिज्ञा दिलाया। उन्होंने युवाओं को अपने संबोधन में कहा कि मतदान करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। जैसे ही हमारी आयु 18 वर्ष हो जाती है,हम वोट करने के लिए योग्य हो जाते हैं,हमारा संविधान इसका हमें अधिकार* देता है। जिस तरह हम व्यस्क हो जाने पर अपने कैरियर के लिए प्लानिंग करते हैं, उसी तरह हमें मतदान करने-अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए भी प्लानिंग करनी चाहिए। अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा कर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। कहा कि वर्ष 2011 से सभी निर्वाचन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस '25 जनवरी' को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सभी भारत के नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है। भारत का संविधान समानता के सूत्र में सबकों यह अधिकार दिए हुए हैं। *प्रत्येक नागरिक का मतदान प्रक्रिया में भागीदारी जरूरी है। मतदान प्रक्रिया हर किसी के लिए सामान है, हर वोट का मूल्यांकन सामान है, चाहे वह मतदान कोई आम नागरिक करें अथवा कोई सेलिब्रेटी। इससे पूर्व, पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक एवं अपर नगर आयुक्त चास सौरव कुमार भुवनिया ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस एवं मतदान के महत्व से सभी को अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक ने संदेशवाहक के रूप में छात्र – छात्राओं को अपने अभिभावकों एवं आस -पास के लोगों को मतदान के महत्व से अवगत कराने एवं उन्हें मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करने को कहा। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पूरे वर्ष स्वीप के तहत जागरूकता कार्यक्रम जिले के विभिन्न विद्यालयों में चलाया जाता है। मौके पर अपर समाहर्ता मेनका कुमारी, अनुमंडल पदाधिकारी चास ओम प्रकाश गुप्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खालखो, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल भारती, विशेष कार्य पदाधिकारी कुमार कनिष्क, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मो. शफिक आलम, डीसीएलआर नरेश रजक, चास अंचलाधिकारी दीवाकर दूबे, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, संस्थान के अध्यक्ष तरसेम सिंह, सचिव सुरेंद्र पाल सिंह व निदेशक प्रियदर्शी जरूहार निदेशक उपस्थित थे।